

144.....

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम चौरु उत्तर के खाता सं. 27, 29 खसरा नं. .... में आवेदन पत्र अनुसार रामकुंवार पुत्र कानी के स्थान पर रामकुंवार पुत्र लक्ष्मीनारायण शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प PDDUASP ग्राम पंचायत चौरु में दिनांक 30/6/25 को सजमेसाम में सुनाया गया।



30/6/25  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी